

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, अशोकनगर, (म.प्र.)
(समक्ष – सैफी दाऊदी)

अपील क. 17 / 17
संस्थित दिनांक 09.03.17

- 1 शगुफ्ता गौरी पत्नी मुन्तहा खां गौरी, उम्र 45 वर्ष निवासी निजामउद्दीन चौराह चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.
- 2 मुन्तहा खां गौरी पुत्र इफ्तदा खां गौरी, उम्र 49 निवासी निजामउद्दीन चौराह चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

- 1 जहीरउद्दीन पुत्र नसीरउद्दीन उम्र 53 साल धन्धा दुकानदारी निवासी खिडकी दरवाजा चन्देरी जिला अशोकनगर
- 2 अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी जिला अशोकनगर
3. तहसीलदार तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकार नगरपालिका परिषद चंदेरी
5. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
6. नसीरउद्दीन पुत्र रहीमउद्दीन उम्र 65 वर्ष निवासी खिडकी दरवाजा चंदेरी
7. जमीरउद्दीन पुत्र नसीर उद्दीन निवासी खिडकी दरवाजा चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

----- प्रत्यर्थीगण

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| अपीलार्थीगण द्वारा | :- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता । |
| प्रतिअपीलार्थी क. 1 द्वारा | :- श्री जाफरी अधिवक्ता । |

प्रत्यर्थी क्र. 2 लगा. 5 :- एकपक्षीय।
 प्रत्यर्थी क्र. 6 :- स्वयं उपस्थित।

—:: आदेश ::—

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1. अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपील न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 चंदेरी, श्री पुंजिया बारिया के न्यायालय में विचाराधीन व्यवहार वाद क्रमांक 04ए/17 में वादी जहीरुद्दीन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सह पठित धारा 151 सीपी.सी. दिनांकित 02.12.16 को स्वीकार कर वादी के हित में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरुद्ध अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी. प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।
3. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के अभिवचन संक्षिप्त में यह रहे हैं कि चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 640/2/2/6 रकबा 0.211 में से 1/2 भाग का स्वामी वादी होकर उक्त भूमि पूर्वजों के समय की होकर वर्ष 2007 में भूमि का बटवारा हो गया था और वादी के हिस्से में संपूर्ण भूमि में से आधा भाग हिस्से में आया था। प्रतिवादी क्रमांक 8 की दुकान से लगकर 17 फुट चौड़ा 450 फीट लंबा भाग आवेदक/वादी को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी की 08 वाई 08 की गुमठी प्रतिवादी क्रमांक 7 की दुकान से लगकर रखी हुई है और वादी ने इस गुमठी में बिजली का कनेक्शन भी लिया है। भूमि पर वादी का आधिपत्य है। प्रतिवादी सगुफ्ता गौरी व उसके पति द्वारा भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और उसने नगर पालिका निगम व राजस्व विभाग में झूठी शिकायत की, जिस पर से आवेदक वादी को भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया है और न्यायालय ने यदि हस्तक्षेप नहीं किया तो वादी आवेदक को उसकी ही भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा और उसे अपूर्तनीय क्षति कारित होगी।
4. प्रथम दृष्टया प्रकरण विद्यमान होना एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना अभिवाचित कर प्रार्थित अस्थाई निषेधाज्ञा उसके पक्ष में जारी किये जाने की प्रार्थना विचारण न्यायालय से की गयी थी।
5. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने आवेदन पत्र का लिखित उत्तर प्रस्तुत कर विरोध करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी के आधा हिस्सा होने से इंकार करते हुए वादी द्वारा उसकी भूमि में से 0.028 हे. भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय करने के उपरांत उस पर उसका नामांतरण होकर यह भूमि उसी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि होना कथित करते हुए वादी द्वारा बतायी जा रही विवादित भूमि को सर्वे क्रमांक

640/2/2/7 का अंश नहीं होकर सर्वे क्रमांक 640/2/2/6 का अंश भाग होना कथित कर वादी के पिता नसीरुद्दीन द्वारा इस भूमि में से 17 वाई 60 फीट भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय कर कब्जा सौंप देना और उसके पश्चात् राजस्व प्रपत्र और नगर पालिका में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर नामांतरण हो जाना तथा वादी के पिता द्वारा विक्रय की गयी भूमि से बढ़कर 17 वाई 18 फीट भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय करके कब्जा सौंप दिया जाना तथा प्रकरण क्रमांक 93ए/10 के माध्यम से राजीनामे के आधार पर निर्णय दिनांक 19.10.10 पारित किया गया है। यह प्रतिवादी क्रमांक 1 पर बंधनकारी नहीं है।

6. वादी ने तथ्यों को छिपाकर राजीनामा आदेश पारित करवाया है। वादी ने अवैधानिक रूप से प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 640/2/2/6 में दिनांक 05.11.16 को गुमठी रखने के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 08.11.16 को अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर से गुमठी हटाये जाने के संबंध में राजस्व न्यायालय व नगर पालिका चंदेरी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

7^प वादी ने अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 12.01.16 को आवेदन पेश किया था, जिस पर से जांच उपरांत उन्होंने दिनांक 03.01.17 को वादी को बेदखल करने का आदेश दिया है, जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा वादी के विरुद्ध धारा 250 एमपीएलआरसी के तहत कार्यवाही की जा रही है और इस कार्यवाही से बचने एवं बाधा पहुंचाने हेतु ही वाद असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया है।

8^प अन्य अभिवचन समाहित करते हुए वादी का आवेदन पत्र साव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी थी।

9. प्रतिवादी क्रमांक 7 एवं 8 ने आवेदन पत्र का कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। प्रतिवादी क्रमांक 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा की गयी थी।

10. अपीलार्थी/आवेदकगण सगुफ़्ता आदि द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जबकि प्रतिवादीगण ने राजस्व न्यायालय के आदेश व दस्तावेज पेश कर यह प्रमाणित किया है कि वादग्रस्त भूमि, जिसमें वादी गुमठी रखना बता रहा है, सर्वे क्रमांक 640/2/2/6 की है जिस पर वादी का कोई स्वत्व नहीं है। विचारण न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी/आवेदकगण को अपीमित हानि हो रही है तथा आवेदकगण अपने स्वत्व व आधिपत्य से वंचित हो जायेंगे। सुविधा का संतुलन प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पक्ष में होकर उन्हें ही अपरिमित क्षति हो रही है। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 640/2/2/6 है और उससे लगी 640/2/2/7 की भूमि आपस में लगी हैं। उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश मौके के विपरीत है। वादी द्वारा कथित बटवारे से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है वह उसमें पक्षकार नहीं थे। भूमि विक्रय की संपूर्ण जानकारी वादी तथा उसके पिता नशीरुद्दीन को रही है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश में बताये गये तथ्य प्रकरण के प्रस्तुत दस्तावेजों से भिन्न है, जिस पर न्यायालय ने अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है।

11. अन्य अभिवचन भी अपील मेमो में समाहित करते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.17 को अपास्त कर वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 640/2/2/6 के मान्य कर, प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मान्य करने की प्रार्थना की गयी है।

12. इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष यह अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि –

—: विचारणीय प्रश्न :—

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.02.17 के संबंध में दिया गया निष्कर्ष विधि विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है। “यदि हां तो”

2. सहायता एवं व्यय ?

—:: साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष ::—

13. आवेदकगण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिवादी कहा जायेगा) की और से अपना अवलंबन वादाधार दस्तावेज एवं स्वयं के शपथ पत्र आदि पर अवलंबित किया है जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 जहीरुद्दीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् वादी कहा जायेगा) ने अपना अवलंबन उसकी और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं स्वयं के शपथ पत्र पर अवलंबित किया है और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने अपना अवलंबन उनकी और से प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 श्रीमती सगुफ्ता गौरी के शपथ पत्र पर अवलंबित किया है।

14. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की और से न्याय दृष्टांत लालकुंवर तथा अन्य विरुद्ध शिवनारायण तथा एक अन्य 1998 राजस्व निर्णय 89 तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के उपबंध पर अवलंबित कर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी को नगर पालिका तथा राजस्व विभाग द्वारा विधिवत हटाने की कार्यवाही की गयी है। अपीलार्थी/प्रतिवादी की और से तर्क में अपना अवलंबन अपील याचिका में अभिवाचित तथ्यों पर अवलंबित किया गया है।

15. वादी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 93ए/2010 जमीरुद्दीन बनाम जहीरुद्दीन आदि में पारित ओदश दिनांक 19.10.10 इस तथ्य को प्रकट कर रहा है

कि उक्त आदेश में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 640/2/2 का संपूर्ण रकवा भी सम्मिलित रहा है और आदेश दिनांक 19.10.10 वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा संपन्न होने के उपरांत सक्षम अधिकारिता के व्यवहार न्यायालय में आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पारित किया गया आदेश है। उक्त आदेश को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर किसी वरिष्ठ पंक्ति के समक्ष न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाना अथवा परिवर्तित या परिशोधित किया जाना प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकट नहीं है।

16. आदेश दिनांक 19.10.10 के पृष्ठ क्रमांक 3 में राजीनामा के आधार पर तैयार की गयी आज्ञाप्ति की अंतर्वस्तु अनुसार सर्वे क्रमांक 640/2/2/7 रकवा 0.211 हे. के आधे भाग का भूमि स्वामी जहीरुद्दीन अर्थात् वादी को होना धारित किया गया है तथा कंडिका 9 में जहीरुद्दीन को प्राप्त भूमि की लंबाई चौड़ाई तथा उसकी चतुर्थ सीमा अंकित की गयी है। यह भूमि **मध्य भू राजस्व की संहिता 57 के प्रावधान** से शासित होने वाली ऐसी भूमि नहीं है, जिसका स्वामित्व राज्य में निहित हो और जिसे राज्य में वादी जहीरुद्दीन को लगान के रूप में राजस्व निर्धारित कर उपयोग हेतु आधिपत्य अंतरित किया हो तब ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि जहां कि सिविल न्यायालय के आदेश के अधीन विभाजन द्वारा वादी जहीरुद्दीन को प्राप्त हुई तब उस भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को कार्यवाही करने हेतु **मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अधीन** कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही ऐसा कोई अधिकार नगर पालिका विधि के अधीन नगर पालिका चंदेरी को ही प्राप्त है।

17. वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी विवाद का निराकरण किये जाने हेतु **व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के प्रावधानान्तर्गत** सिविल न्यायालय भी सक्षम न्यायालय है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणात्मक आज्ञाप्ति अथवा व्यादेश संबंधी आज्ञाप्ति को पारित करने की अन्यय अधिकारिता **विनिर्दिष्ट अनुतोष आधिनियम 1963 के भाग 3 में उपबंधित** घोषणात्मक वाद एवं व्यादेश संबंधी वाद जो कि **अध्याय 6 एवं अध्याय 8** में अनुद्घात है, संबंधी वाद श्रवण की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। अतः प्रकरण अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का लाभ उस दशा में प्राप्त नहीं करते हैं जहां कि वादी न तो मौरुषी कृषक है और न ही सरकारी पट्टेदार है।

18. स्वयं प्रतिवादीगण इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भूमि पर गुमठी रखी है। यद्यपि उस भूमि को वादग्रस्त भूमि का भाग नहीं होना प्रतिवादीगण अभिकथित करते हैं, किन्तु वादी की गुमठी जिस किसी भी भूमि पर रखी है और जिस गुमठी को वादी अपना होना कथित कर रहा है तो वह भूमि जिस पर कि वादी की गुमठी रखी है उस पर वादी का आधिपत्य होना भी प्रकट है और विधि कब्जे की संरक्षा करती है, चाहे ऐसा कब्जा अतिक्रामक का ही कब्जा क्यों न हो। विधि की सम्यक् प्रक्रिया अपनाये बिना कब्जेदार को आधिपत्य विहीन या आधिपत्यच्युत नहीं

किया जा सकता और वादी ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है वह स्वमेव विधि की ऐसी सम्यक् प्रक्रिया है जो उभयपक्ष के मध्य विद्यमान विवाद का निराकरण करेगी।

19. वादी की गुमठी जिस भूमि पर रखी है, वह वादी की है अथवा प्रतिवादी की यह सीमांकन द्वारा तय किये जाने का विषय है और यह तथ्य स्वयं प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ ही रजिस्टर्ड करा दिये गये नक्शा मौका तथा आदेश दिनांक 19.10.10 की कंडिका 9 में न्यायालय द्वारा वादी को दी गयी भूमि की चतुर्थसीमा के परिप्रेक्ष्य में अवधारण हो जायेगा।

20. ऐसी स्थिति में जहां कि वादग्रस्त भूमि पर वादी जहीरुद्दीन का ही गुमठी के रूप में आधिपत्य विद्यमान है, वहां अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में उसे ही अपूर्तनीय क्षति उस दशा में कारित होगी यदि उसे वादग्रस्त भूमि से आधिपत्य विहीन कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी वादी के हित में होना प्रकट होता है, वहां ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर विद्यमान सामग्री के आधार पर ही आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। **अस्तु अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत अपील नामंजूर की जाती है और विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.17 की पुष्टि की जाती है।**

21. इस आदेश का प्रकरण के अंतिम गुणदोष आधारित निराकरण पर कोई विपरीत प्रभाव कारित नहीं होगा।

22. अपील का व्यय अपीलार्थीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर ,
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ,
अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक— 22.11.2017

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)